(416) (292)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0,

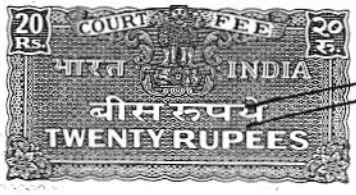

Rs 20/-

रोहिणी प्रसाद त्रिपाठी तनय श्री केश प्रसाद त्रिपाठी उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम कपुरीपवाई तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी म0प्र0,

.....निगरानीकर्ता

बनाम

परशुराम तनय श्री बाल्मीक शुक्ला निवासी ग्राम कपुरीपवाई तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी म0प्र0,

.....गैरनिगरानीकर्तागण

श्री गंगा प्रसाद तिवारी
द्वारा दिनांक 21-1-14
कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध न्यायालय अपर कलेक्टर जिला सीधी म0प्र0 के प्रकरण कमांक/191/ निगरानी / 2011-12 आदेश दिनांक-30.09.2013,

.....

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959ई.,

.....

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैः-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रकिया के विपरीत होने से निरस्तगी के योग्य है।
2. यह कि गैरनिगरानीकर्ता द्वारा भूमि आराजी खसरा कमांक-376 रकवा 0.44है. स्थित ग्राम कपुरीपवाई तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी की भूमि का सीमांकन वावत् आवेदन पत्र नायब तहसीलदार तहसील रामपुर नैकिन के समक्ष दिया गया जिस पर राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक-07.05.2008 को सीमांकन कर सीमांकन रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। जो सीमांकन प्रतिवेदन पूर्ण रूप से सही व सत्य था, उक्त सीमांकन में गैरनिगरानीकर्ता की भूमि का नाप सही ढंग से किया गया था।
3. यह कि गैरनिगरानीकर्ता की भूमि से लगी हुयी. प्रार्थी/निगरानीकर्ता की भूमि खसरा कमांक-374 जो उत्तरी दिशा में स्थित है, जिसमें प्रार्थी का पुस्तैनी मकान बना हुआ है, उक्त भूमि को हड़पने के उद्देश्य से गैर निगरानीकर्ता द्वारा उक्त सीमांकन पर स्वयं आपत्ति प्रस्तुत किया जो प्रकरण पंजीबद्ध होकर प्रकरण कमांक-4-अ-12/2006-07 दर्ज कर उक्त सही सीमांकन को माननीय तहसीलदार महोदय द्वारा निरस्त कर दुबारा

(292)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

रण क्रमांक R.1284-दो/14 जिला– सीधी

रोहिणी प्रसाद त्रिपाठी विरूद्ध परशुराम शुक्ला

(1)	(2)	(3)
17-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री गंगा प्रसाद मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कलेक्टर~~/ अपर कलेक्टर, जिला........ के प्रकरण क्रमांक 191/निग./11-12 में पारित आदेश दिनांक 30-9-13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 16.4.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

...अधिकार ... द्वारा निरस्त कर दुबारा